दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित: 20.01.2023
सुरक्षित: 09.09.2022

ले.पे.अ. 476/2021 में पुनर्विलोकन या. सं. 21/2022

भारत संघ ....अपीलार्थी

द्वारा : श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, कें.स.स्था.अधि.।

बनाम

कोल्ली उदय कुमारी ...प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री महेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री तलवंत सिंह
[भौतिक सुनवाई / हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

विषय-सूची

प्रस्तावना:.....1

अधिवक्तागण की प्रस्तुतियाँ:.....6

कारण और विश्लेषण:.....10

निष्कर्ष:.....19

न्या.राजीव शकधर:

प्रस्तावनाः

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या. (सि.) 7343/2020 में दिए गए दिनांक 10.08.2021 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, प्रत्यर्थी (जिसके बारे में हमें बताया गया है कि गुजर गया है आक्षेपित निर्णय सुनाए जाने के बाद, लेकिन अपील के संस्थित किए जाने से पहले) ने अपीलकर्ता अर्थात् भारत संघ [इसके पश्चात् "भारत संघ" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है] द्वारा दिनांक 12.02.2020 को जारी पत्र व्यवहार का विरोध किया था जिसके द्वारा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 [इसके पश्चात् "1980 योजना" कहा गया है] के तहत पेंशन मंजूर करने के अनुरोध को भारत संघ द्वारा 06.08.2014 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 5.2.5 के उपबंधों के आधार पर नामंजूर कर दिया गया था। [अब '2014 दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित किया गया है]।

1.1 सुविधा के लिए, मृत प्रत्यर्थी को सुश्री इंदिरा कुमारी के रूप में संदर्भित किया जाएगा| जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

1. 2. संक्षेप में, श्रीमती इंदिरा कुमारी के पेंशन देने के अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण यह था कि 1980 की योजना के तहत एक विधवा / तलाकशुदा बेटी पेंशन के लिए पात्र नहीं थी।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए क्योंकि उनके अनुसार, यह मुद्दा ***खजानी देवी बनाम भारत संघ और अन्य,*** 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी एंड एच 15867 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए अब अनिर्णीत नहीं था।

2.1 एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि न केवल विशेष अनुमति याचिका, बल्कि उक्त निर्णय के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर एक पुनर्विलोकन याचिका भी दिनांक 27.09.2019 और 19.01.2021 को खारिज कर दी गई थी।

2.2. इसके अलावा, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ***खजानी देवी*** एक तलाकशुदा बेटी के मामले से संबंधित था। उक्त मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 1980 की योजना के तहत एक अविवाहित पुत्री जो पात्र लाभार्थी के लिए स्वीकृत और तलाकशुदा बेटी के बीच अंतर करने का कोई उचित कारण नहीं देखा।

3. ***खजानी देवी*** के मामले के अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पंजाब के दो एकल न्यायाधीशों और हरियाणा उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी ध्यान दिया। ।

3.1पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 02.05.2019 के निर्णय के माध्यम से, जो 2017 की सि.रि.या. संख्या 8008 में दिया गया, जिसका शीर्षक था, ***"श्रीमती एस.कमलेश बनाम***

भारत संघ और अन्य जो खंड पीठ के ***खजानी देवी*** के मामले में दिया गया निर्णय का अनुसरण किया और एक विधवा बेटी को फायदा प्रदान किया।

3.2 जहां तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का संबंध है, ***सोनाली हटुआ गिरी बनाम भारत संघ और अन्य***, 2021 एस.सी.सी ऑनलाइन कल 1644, उसके दिए गए निर्णय में 2014 के दिशानिर्देशों के पैरा 5.2.5 को इस आधार पर अधिकारातीत घोषित किया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस निर्णय में घोषणा की गई थी कि 2014 के दिशानिर्देशों के पैरा 5.2.5 में 'अविवाहित' अभिव्यक्ति में विधवा/तलाकशुदा बेटियों को शामिल किया गया है, बशर्ते वे अन्य शर्तों को पूरा करे अर्थात कि उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नही होना चाहिए।

4. यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी ध्यान दिया कि सी.डब्ल्यू.पी सं.1504/2019 शीर्षक **तुलसी देवी बनाम भारत संघ और अन्य** में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.07.2019 के निर्णय में विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था|

4.1 उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक वि.अ.या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थी (***सोनाली हटुआ गिरी*** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित तथ्य), ***खजानी देवी*** और ***सोनाली हटुआ गिरी*** के मामले में पंजाब

और हरियाणा उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सहमति व्यक्त की और इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय के माध्यम से रिट याचिका में की गई प्रार्थना को अनुमति दी।

5. नतीजतन, 1980 की योजना के तहत पेंशन देने के लिए किए गए सुश्री इंदिरा कुमारी के अनुरोध को भारत संघ द्वारा 12.02.2020 को जारी की गई आक्षेपित सूचना द्वारा ख़ारिज किए गए को अपास्त किया गया भारत संघ को इन निर्देशों के साथ पेंशन को प्रदान करने लिए विचार किया जाए बशर्ते कि 1980 की योजना में निहित अन्य शर्तें संतुष्ट हों, इस उद्देश्य के लिए, भारत संघ को निर्णय की तारीख से आठ सप्ताह का समय दिया गया था।

6. आगे बढ़ने के पहले उस पृष्ठभूमि पर ध्यान दें देना प्रासंगिक होगा जिसमें सुश्री इंदिरा कुमारी (अब उनके कानूनी प्रतिनिधि अर्थात् उनकी बेटी सुश्री कोल्ली उदय कुमारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) ने एक रिट कार्रवाई के माध्यम से एकल न्यायाधीश के पास पहुंची थी।

7. सुश्री इंदिरा कुमारी के पिता ,श्री के. अप्पा राव ने 1980 की योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। श्री राव ने दावा किया था कि वह 1941-42 के बीच स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। तथापि, दिनांक 05.01.1996 को श्री राव का आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के उनके दावे की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7.1 इसके बाद भारतीय संघ ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और तदनुसार दिनांक 15.12.1997 को श्री राव को 1980 की योजना के तहत पेंशन देने का निर्णय लिया।

8. जैसा कि ऊपर देखा गया है, दिनांक 06.08.2014 को भारत संघ ने गृह मंत्रालय (जिसे इसके बाद गृह मंत्रालय के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञापन (जिसे इसके बाद कार्यालय ज्ञापन के रूप में संदर्भित किया गया है) जारी किया, जिसमें 1980 की योजना में निहित अंतराल को समाप्त करने के उद्देश्य से संशोधित नीतिगत दिशा-निर्देशों को लागू किया गया। संशोधित दिशा-निर्देशों अर्थात 2014 के दिशा-निर्देशों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि नामित बैंक उन विवाहित बेटियों को पेंशन प्रदान कर रहे थे जो अन्यथा 1980 की योजना के तहत पात्र नहीं थीं।

9. भारत संघ द्वारा दिनांक 30.12.2015 को ज़ारी एक कार्यालय ज्ञापन के बाद उपरोक्त का पालन किया गया दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/विधुर/अविवाहित बेटी/मां या पिता को आश्रित पेंशन देने से संबंधित 2014 के दिशा-निर्देशों में प्रदान की गई दोहरी शर्तों को दोहराया गया था ।

9. उपरोक्त के बाद भारत संघ द्वारा दिनांक 30.12.2015 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन आया जिसमें वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों में प्रदान की गई दोहरी शर्तों को दोहराया गया था जो दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की विधवा / विधुर / अविवाहित बेटी / माता या पिता को आश्रित पेंशन देने से संबंधित

हैं। ऐसा करते समय, यह फिर से स्पष्ट किया गया कि आश्रित के पास आजीविका के स्वतंत्र साधन हैं अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुछेद 6.1 के प्रावधानों का सहारा लिया जाना चाहिए; जो, मौटे तौर पर, यह प्रावधान करता है कि पात्र आश्रित के पास आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं होना चाहिए जो 20,000 रुपये प्रति माह या 2,40,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो।

10. अभिलेख से पता चलता है कि श्री राव ने दिनांक 18.07.2019 को एक शपथपत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें सुश्री इंदिरा कुमारी को 1980 की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। दुर्भाग्यवश, लगभग चार महीने बाद दिनांक 01.11.2019 को श्री राव का निधन हो गया।

11. इसके परिणामस्वरूप सुश्री इंदिरा कुमारी ने श्री राव यानी अपने पिता के निधन पर 1980 की योजना के तहत पेंशन प्रदान किए जाने के लिए दिनांक 11.11.2019 को आवेदन किया था।

12. अभिहित बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के संबंधित अधिकारी ने दिनांक 17.12.2019 के पत्र के कवर के तहत गृह मंत्रालय को सुश्री इंदिरा कुमारी का आवेदन अग्रेषित किया। इस पत्राचार के पश्चात एक अनुस्मारक दिनांकित 20.01.2020 जारी किया गया।

13. जैसा कि ऊपर देखा गया है, गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ ने दिनांक 12.02.2020 को सुश्री इंदिरा कुमारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

14. व्यथित होने के कारण, जैसा कि इसमें ऊपर उल्लिखित किया गया है, सुश्री इंदिरा कुमारी ने दिनांक 18.09.2020 को एक रिट कार्रवाई दायर की, जिसके द्वारा उन्होंने भारत संघ / गृह मंत्रालय के दिनांक 12.02.2020 के पत्र पर हमला किया।

15. जैसा कि ऊपर देखा गया है, आक्षेपित निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.08.2021 को दिया गया था।

16. दुःख है कि इससे पहले कि सुश्री इंदिरा कुमारी अपने श्रम का लाभ उठा पाती, दिनांक 02.10.2021 को उनका निधन हो गया।

17. भारत संघ ने दिनांक 15.11.2021 को वर्तमान अपील संस्थित की। दिलचस्प बात यह है कि जब दिनांक 15.12.2021 को पहली बार अपील सुनवाई के लिए आई, तो भारत संघ की ओर से एक उल्लेखनीय रूप से निष्पक्ष रुख अपनाया गया, जो यह था कि 1980 की योजना का लाभ सुश्री इंदिरा कुमारी को दिया जाएगा। भारत संघ की ओर से लिए गए रुख के आधार पर अपील और लंबित आवेदनों को बंद कर दिया गया।

18. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत संघ का हृदय परिवर्तन हुआ और इस प्रकार दिनांक 11.01.2022 को एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई। पुनर्विलोकन याचिका में दिनांक 15.02.2022 को नोटिस जारी किया गया था। जबकि पुनर्विलोकन याचिका लंबित थी, सुश्री इंदिरा कुमारी यानी उनकी बेटी सुश्री कोल्ली उदय कुमारी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें अभियोजित किए जाने की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 18.05.2022 को अनुमति प्रदान की गई थी।

19. अपील और पुनर्विलोकन याचिका में तर्कों को सुनने के बाद, इस मामले में दिनांक 09.09.2022 को निर्णय सुरक्षित किया गया था।

<u>अधिवक्तागण की प्रस्तुतियां:</u>

20. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर द्वारा भारत संघ की ओर से तर्क दिए गए, जबकि श्री महेश कुमार तिवारी द्वारा मृतक प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियां दी गईं।

21. श्री शंकर की प्रस्तुति को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में व्याख्यायित किया जा सकता हैः

(i) पहला, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1980 की योजना को "पेंशन योजना" के समतुल्य मानने की गलती की, जबकि 1980 की योजना के तहत दिए

गए लाभ बलिदान के लिए राष्ट्र द्वारा दिए गए "सम्मान के प्रतीक" हैं और इस प्रकार, उनमें एक विशिष्ट पेंशन योजना की विशेषताएं नहीं हैं।

(ii) दूसरा, 1980 की योजना के पैरा 3 में यह परिभाषित किया गया है कि किसके साथ "पात्र आश्रितों" के रूप में व्यवहार किया जाना है। अन्य के अलावा, 1980 की योजना के अनुछेद 3 के अनुसार, अविवाहित बेटी एक आश्रित पात्र है। नतीजतन, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को अपवर्जित रखा गया है, एक पहलू जिसे वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुछेद 5.2.5 में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है।

(iii) तीसरा, विधवा बेटियों को लाभ देने से "जलद्वार" खुलेंगे और अंततः राजकोष पर बोझ पड़ेगा।

(iv) चौथा, 1980 की योजना के तहत उपलब्ध पेंशन की तुलना केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई व्यवस्था के तहत दी जाने वाली पेंशन के साथ नहीं की जा सकती है, जो पेंशनभोगी द्वारा अपने कर्मचारी की क्षमता में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जुड़ी हुई हैं। दूसरी ओर, 1980 की योजना के तहत दिया जाने वाला पेंशन लाभ एक स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाने वाला "सम्मान का प्रतीक" मात्र है और यह "गैर-हस्तांतरणीय" है। इस प्रकार, इसे किसी और पर लागू नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अयोग्य विधिक प्रतिनिधि, और निश्चित रूप से उनके जीवनकाल के लिए नहीं।

(v) पांचवां, 1980 की योजना के तहत मिलने वाला लाभ सहानुभूति के आधार पर नहीं दिया जा सकता। सहानुभूति और कठिनाई के आधार पर नीतिगत मानदंडों में ढील नहीं दी जा सकती।

(vi) छठा, रिट याचिका में किया गया यह प्राख्यान कि सुश्री इंदिरा कुमारी, प्रासंगिक समय पर, एक आश्रित थीं, गलत था क्योंकि उस समय भी वह अपनी बेटी के साथ रह रही थीं। यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका के अनुछेद 3 और आधार ङ के साथ सुश्री उदय कुमारी द्वारा दायर रिट याचिका अर्थात् सि.वि. सं. 23322/2022 के अनुछेद 8 में प्रस्तुत किए गए प्रकथनों को प्रति निर्देशित करने पर स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, सुश्री इंदिरा कुमारी ने प्रासंगिक समय पर इस तथ्य को छिपाया था कि उनके विधिक उत्तराधिकारी थे, जैसा कि सि.वि. सं. 23322/2022 के अनुछेद 7 व 9 के अवलोकन से स्पष्ट है।

(vii) सातवां, ***खजानी देवी*** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर वि.अ.या. को खारिज किया जाना एक पूर्व निर्णय गठित नहीं करता है। भारत संघ ने एक उपचारात्मक याचिका भी दायर की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है। इसके अलावा, जहां तक ***श्रीमती कमलेश*** के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का संबंध है, पंजाब और

हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने दिनांक 16.09.2019 के आदेश के माध्यम से इसके प्रवर्तन पर रोक लगा दी है।

(viii) अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, श्री शंकर ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:

(क) ***उड़ीसा राज्य बनाम के. श्रीनिवास राव***, (2001) 4 एससीसी 743।

(ख) सिविल अपील सं. 987/2020 शीर्षक ***भारत सरकार व अन्य बनाम सीता कांत दुबाशीश व अन्य*** में दिनांक 11.02.2022 को दिया गया निर्णय।

22. दूसरी ओर, श्री तिवारी ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं:

(i) उस समय जब सुश्री इंदिरा कुमारी ने 1980 की योजना के तहत पेंशन प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दायर किया था, उन्होंने न केवल अपने पिता श्री राव को खो दिया था, बल्कि अपने पति श्री कोल्ली लक्ष्मण राव और अपनी मां सुश्री कोपाला सुंदरी मणि को भी खो दिया था। मृतक प्रत्यर्थी के पति की दिनांक 26.10.2000 को मृत्यु हो गई थी, जबकि उसकी मां की मृत्यु दिनांक 16.02.2009 को हो गई थी। इन त्रासदियों के अलावा, प्रत्यर्थी ने अपनी बहन सुश्री चंद्रकला कोल्ली को भी दिनांक 07.01.2013 को खो दिया था.

(ii) वर्ष 1980 योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन प्रत्यर्थी के पिता श्री राव की दिनांक 01.11.2019 को मृत्यु के बाद किया गया था। अपनी मृत्यु से पहले श्री राव ने 18 जुलाई, 2019 को एक शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें श्रीमती इंदिरा कुमारी को 1980 की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था।

(iii) सुश्री इंदिरा कुमारी अपने जन्म से ही दिव्यांग थीं जो दिनांक 15 जून, 1992 के प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि जहां तक उनकी मानसिक क्षमता का संबंध है, वे 50 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित थीं| इसी तरह, दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जारी प्रमाण पत्र [जिसे अब पीडब्ल्यूडी के रूप में संदर्भित किया जाता है] में कहा गया है कि सुश्री इंदिरा कुमारी 78-80% के दायरे में बोलने और सुनने की क्षमता की कमी से पीड़ित थीं|

(iv) श्री राव को 1980 की योजना के तहत लाभ दिए जाने के बाद सुश्री इंदिरा कुमारी पात्र बन गईं और उन्हें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत लाभ भी प्रदान किए गए|

(v) भारत संघ के दिनांक 12.02.2020 के पत्र के माध्यम से उनके आवेदन को अस्वीकार करना विधिक रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह ***खजानी देवी के मामले*** में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले के अनुपात के विपरीत है, जिसे उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के साथ ही दिनांक

27.09.2019 को वि.अनु.या और दिनांक 19.01.2021 को समीक्षा याचिका भी खारिज की गई |

(vi) भारत संघ का दिनांक 12.02.2020 का निर्णय भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो एकल न्यायाधीशों द्वारा ***श्रीमती कमलेश*** और ***सोनाली हटुआ गिरी*** के मामलों में दिए गए फैसले के विपरीत है| ***सोनाली हाटुआ गिरि के*** मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वास्तव में वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों अनुच्छेद 5.2.5 को अभिखंडित कर दिया है|

(vii) ***तुलसी देवी के*** मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय देते हुए ***खजानी देवी*** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील में दिए गए आदेशों और भारत संघ द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका पर ध्यान नहीं दिया गया| उपयुक्त रूप से, ***तुलसी देवी के*** मामले में वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों पैरा 5.2 के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई थी अत: यह अलग है।

<u>कारण और विश्लेषणः</u>

23. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, जो सामने आया है वह यह है कि निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में कोई प्रतिवाद नहीं हैः

(i) पहला, 1980 की योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए श्री राव का दावा दिनांक 15.12.1997 को स्वीकार कर लिया गया था|

(ii) दूसरा, गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ ने 2014 के दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अनुच्छेद 5.2.5 शामिल है जिसके आधार पर 1980 की योजना के तहत पेंशन की मंजूरी के लिए सुश्री इंदिरा कुमारी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, इस आधार पर कि चूंकि वह विधवा बेटी की श्रेणी में आती हैं, इसलिए वह 1980 की योजना के तहत उपलब्ध लाभों के लिए पात्र नहीं हैं|

(iii) तीसरा, सुश्री इंदिरा कुमारी जन्म से ही मानसिक विकलांगता से पीड़ित थीं और उन्हें 78-80% के बीच बोलने और सुनने की समस्या थी|

(iv) चौथा, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.1.2 में दिए मानदंडों के अनुसार और दिनांक 30.12.2015 के कार्यालय ज्ञापन में दोहराया गया है कि उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था|

24. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या एक विधवा-बेटी को 1980 की योजना के लाभों से बाहर रखा जा सकता है

या नहीं| अतः इस समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई 1980 की योजना के इतिहास का संक्षेप में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए उल्लेख करना उपयोगी होगा|

24.1. अभिलेख से प्रतीत होता है कि 1969 में, "पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना" [इसके आगे "1969 योजना" के रूप में संदर्भित किया जाता है] तैयार की गई थी| 1969 की योजना के तहत पेंशन का अनुदान उन स्वतंत्रता सेनानियों तक सीमित था जो संबंधित समय पर पोर्ट ब्लेयर (अंडमान द्वीप समूह) में स्थित सेलुलर जेल में कम से कम पांच वर्षों से बंद थे|

24.2. स्वतंत्रता की 25$^{वीं}$ वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार [इसके आगे "जीओआई" के रूप में संदर्भित] द्वारा पेंशन की मंजूरी के लिए एक केंद्रीय योजना शुरू की गई थी, जो न केवल स्वतंत्रता सेनानियों, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी इसके दायरे में ले आई, जहां स्वतंत्रता सेनानी/शहीद अब जीवित नहीं थे| यह योजना दिनांक 15.08.1972 को शुरू की गई [इसके आगे "1972 योजना" के रूप में संदर्भित]| उल्लेखनीय है कि 1972 की योजना में पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता के मानदंड के रूप में 5000 रुपये की वार्षिक आय सीमा को शामिल किया गया था|

24.3. हालाँकि, 1980 की योजना के निरूपण के साथ, दिनांक 01.08.1980 से सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का फायदा दिया गया था| वस्तुतः,

1972 की योजना में दी गई 5000/- रुपये की वार्षिक सीमा को हटा दिया गया था| इसलिए, दिनांक 01.08.1980 से, स्वतंत्रता सेनानी को उसके जीवनकाल के दौरान और उसकी मृत्यु पर, उसके या उसके पात्र आश्रित को पेंशन दी जाती है| इस बारे में कि पात्र आश्रित कौन है, 1980 की योजना के अनुच्छेद 3 में उपबंधित किया गया है जो इस प्रकार हैः

> *3. कौन पात्र आश्रित हैं:*
>
> *सम्मान पेंशन के अनुदान के उद्देश्य के लिए, परिवार में शामिल हैं:*
>
> ***(यदि स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है तो) माता, पिता, विधुर/विधवा यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है तो अविवाहित बेटियां।***
>
> *एक से अधिक आश्रित को पेंशन नहीं दी जा सकती है और एक से अधिक आश्रित की उपलब्धता की स्थिति में पात्रता का क्रम विधवा/विधुर, अविवाहित* ***बेटियां, माता और पिता होंगे।"***

[हमने जोर दिया]

24.4. उपर्युक्त उद्धरण से पता चलता है कि अविवाहित बेटियां पात्र आश्रितों की श्रेणी में आती हैं।

24.5. अविवाहित बेटियों के संदर्भ में, 1980 की योजना के अनुच्छेद 12 में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें ऐसे आश्रितों को पेंशन देने की अवधि का प्रावधान हैः

> *"12. अवधि*

अविवाहित बेटियों *के मामले को छोड़कर पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए आजीवन के लिए है| अविवाहित बेटियों के मामले में, उनकी शादी के तुरंत बाद या अन्यथा आत्मनिर्भर होने के बाद पेंशन समाप्त हो जाती है| पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में उसके वारिस, हालांकि अन्यथा पेंशन के लिए पात्र हैं, स्वतः ही इस तरह की पेंशन पाने के लिए सफल नहीं होंगे| उन्हें पेंशनभोगी के प्रमाण के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा और उनके आवेदनों पर पेंशन योजना के संदर्भ में विचार किया जाएगा|"*

24.6 1980 की योजना के पैरा 12 के अवलोकन से पता चलता है कि अविवाहित बेटियां शादी करने या स्वतंत्र होने के बाद पेंशन प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगी|

24.7. ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 के दिशानिर्देश "बैंकरों के बीच भ्रम" के कारण तैयार किए गए थे, जिसके कारण 1980 की योजना के तहत दी गई पेंशन को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के बराबर रखा गया था| ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय को ऐसे मामले मिले हैं जहां बैंक ने शादीशुदा बेटियों को पेंशन दे दी थी| इसलिए, गृह मंत्रालय ने महसूस किया था कि 1980 की योजना के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करना आवश्यक था, जिसके कारण 2014 के दिशानिर्देश जारी किए गए थे| इस संदर्भ में, 2014 के दिशा-निर्देशों के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, जो हमारे विचार में मामले के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक हैं:

5.2.2 आश्रित पेंशन का भुगतान उसकी पत्नी/बेटी द्वारा किए गए आवेदन की तिथि से किया जाएगा पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से <u>नहीं</u>।

5.2.3 पति/पत्नी/बेटी को 'अविवाहित' होने और 'आय का कोई स्वतंत्र स्रोत न होने' की दोहरी शर्तों को पूरा करना चाहिए। उन्हें प्रत्येक वर्ष बैंक को दो प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-VI और अनुलग्नक-VII के अनुसार) प्रस्तुत करने होंगे।

5.2.5 विधवा/तलाकशुदा बेटी सम्मान पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

5.3.2 विधवाओं में से एक की मृत्यु के मामले में, मृतक विधवा की बेटी दूसरी जीवित विधवा की मृत्यु तक पेंशन के लिए पात्र नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी की दोनों विधवाओं के निधन के बाद ही आश्रित अविवाहित बेटियों पर विचार किया जा सकता है।

6. पति/पत्नी या बेटी के लिए आश्रित पेंशन हेतु दोहरी शर्तें:- पति/पत्नी या बेटी के लिए आश्रित पेंशन हेतु दो महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। पहला, उनके पास आय के स्वतंत्र स्रोत नहीं होने चाहिए और दूसरा, उन्हें दोबारा शादी नहीं हुई होनी चाहिए।

6.1.2 बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी या बेटी को आश्रित पेंशन मंजूर नहीं की जाए, यदि:-

(i) पति/पत्नी/बेटी पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय में कार्यरत हैं।

(ii) यदि पति/पत्नी निजी क्षेत्र में काम कर रहे हों या अपना व्यवसाय/गतिविधि चला रहे हों और तब ऐसी नौकरी/गतिविधि से आय 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो जाती है।

(iii) पति/पत्नी/बेटी को अपनी स्वयं की नौकरी या मृतक स्वतंत्रता सेनानी के पिछले रोजगार के आधार पर पेंशन/वेतन नहीं मिल रहा होना चाहिए।

<u>स्पष्टीकरण-I :-</u>

एक दिशा-निर्देश के रूप में, यदि कोई पति/पत्नी/बेटी पहले से ही अपनी नौकरी या मृतक पति/पिता/मां की पिछली नौकरी के कारण एक वेतन/पेंशन (राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को छोड़कर) प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे पति/पत्नी/बेटी को केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर नहीं की जानी चाहिए।

<u>स्पष्टीकरण-II :-</u>

यदि पति और पत्नी दोनों व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन ले रहे हैं, सम्मान पेंशन पति/पत्नी में से किसी एक की मृत्यु के परिणामस्वरूप उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि जीवित पति/पत्नी पहले से ही अपनी केंद्रीय सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

<u>व्याख्या-III :-</u>

ऐसे मामले हो सकते हैं जहां किसी आश्रित को नौकरी होने के कारण पेंशन से वंचित किया जाता है या जिस दिन उसे नौकरी मिलती है उसी दिन बैंक द्वारा उसकी पेंशन को रोक या जाता है। लेकिन भविष्य में, बाद में, अगर वो अपने दम पर इस्तीफा दे देती है या किसी कारण से नौकरी खो देती है, तो भी वो पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है।

<u>6.2 वैवाहिक स्थिति का निर्धारण :-</u>

6.2.1 आश्रित पेंशन पेंशनभोगी की विधवा/बेटी को हस्तांतरित की जाती है, जो अविवाहित हैं। यदि मृतक पेंशनभोगी की पत्नी/बेटी का पुनर्विवाह हो जाता है तो पेंशन को रोकना होगा।

6.2.2 तथापि, यदि मृत महिला स्वतंत्रता सेनानी का पति पुनः विवाह करता है तो ऐसे मामले में पारिवारिक पेंशन जारी रहती है। संक्षेप में, पुनर्विवाह उपबंध ऐसे पति के मामले में लागू नहीं होता है, जो अपनी मृत पत्नी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, के कारण आश्रित पेंशन प्राप्त कर रहा है।

6.2.4 अविवाहित बेटी ऐसा प्रमाणपत्र <u>(संलग्नक-VI)</u> प्राप्त करे, जिस पर जिले के स्थानीय तहसीलदार या तहसीलदार से वरिष्ठ किसी राजस्व अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। उसे वर्ष में दो बार, मई और नवंबर में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।"

25. इस प्रकार, 1980 की योजना के अनुच्छेद 3 और 12 और 2014 के उपरोक्त अनुच्छेदों को पढ़ने पर पता चलेगा कि निःसंदेह, एक अविवाहित बेटी पात्र आश्रितों की श्रेणी में आती है और इसलिए स्वतंत्रता सेनानी की समाप्ति पर पेंशन की हकदार है।

26. तथापि, जहां तक पति/पत्नी या पुत्री का संबंध है, दो शर्तों को पूरा किया जाना अपेक्षित है। पहला, पति/पत्नी या बेटी को अविवाहित होना चाहिए [वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.3 और 6 देखें]। दूसरा, पति/पत्नी या बेटी के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं होना चाहिए; जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, आय के स्वतंत्र स्रोत के मानकों में क्या-क्या शामिल होगा, यह वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 6.1.2 के तहत निर्धारित है।

27. अस्पष्ट रूप से, जबकि 1980 की योजना के अनुच्छेद 3 में यह उपबंध है कि विधवा/विधुर (यदि उसने पुनः विवाह नहीं किया है), अविवाहित बेटियां, माता और पिता उक्त अनुक्रम में पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे यदि स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है, 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 6.2.1 अन्य बातों के साथ-साथ मृतक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को पुनर्विवाह करने की स्थिति में आश्रित व्यक्ति की श्रेणी से अपवर्जित करता है, लेकिन विधुर को इस अवर्जन के अंतर्गत नहीं रखता है। इस अस्पष्ट प्रावधान को वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 6.2.2 के तहत दर्शाया गया है।

27.1. दूसरे शब्दों में, यदि स्वतंत्रता सेनानी एक महिला थी और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यदि उसका पति पुनः विवाह कर लेता है, तो भी वह 1980 की योजना के तहत पेंशन का लाभ उठा सकता है। यदि इसे चुनौती दी जाती है तो यह स्पष्ट संभावना है कि वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.2.2 को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला घोषित कर

दिया जाए। हमें इस मामले के इस पहलू पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वर्तमान रिट कार्रवाई इसकी छूट नहीं देती है।

27.2. आगे बढ़ते हुए, अनुच्छेद 6.2.1 का सामान्य पठन यह दर्शाता है, जहां तक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी का संबंध है, वह केवल तभी पात्र आश्रित की श्रेणी से अपवर्जित होती है जब वह *पुनर्विवाह* करती है। अनुच्छेद 6.2.1, इस प्रकार, 1980 की योजना के अनुच्छेद 3 और 1980 की योजना के अन्य अनुच्छेदों के साथ संरेखित है; कुछ ऐसा जो अनुच्छेद 5.2.5 के लिए नहीं कहा जा सकता है।

28. हमारे विचार से, 2014 के दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 5.2.5 मूल दस्तावेज यानी 1980 की योजना में जो प्रावधान किया गया है, उससे आगे नहीं जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुच्छेद 5.2.5., 2014 के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.2.1 सहित अन्य अनुच्छेदों के साथ भी असंगत है।

29. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक बार पुनर्विवाह करने के बाद किसी विधवा को पात्र आश्रितों की श्रेणी से अपवर्जित करना (जो विधुर के मामले में अपवर्जनकारी मानदंड नहीं है) भी 1980 की योजना के अनुच्छेद 3 के अनुरूप नहीं है, जहां ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है। अतः, यदि पात्र आश्रितों की पहचान करने के लिए 1980 की योजना *आधारभूत मानदंड* है तो हमें इस मामले में केवल यह जांच करनी होगी कि क्या विधवा पुत्री अविवाहित पुत्री की परिधि और विस्तार के भीतर आती है या नहीं।

30. 'अविवाहित' शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो विवाहित नहीं है[1]। इसमें एक ऐसी महिला भी शामिल है जो अकेले रह रही है अर्थात जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन तलाक हो चुका है और यहां तक कि एक ऐसी महिला भी जो विधवा है।

31. अतः, हमारे विचार से, 1980 की योजना में विधवा पुत्रियों को अपवर्जित करने के बारे में विचार नहीं किया गया था, जैसा कि भारत संघ की ओर से प्रतिवाद करने का प्रयास किया गया है। 2014 के दिशा-निर्देश 1980 की योजना को स्पष्टता प्रदान करने के लिए विरचित किए गए थे और न कि इसे संशोधिक करने हेतु।

31.1. जैसाकि ऊपर कहा गया है, 2014 के दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 5.2.5 2014 के दिशा-निर्देशों के शेष प्रावधानों और 1980 की योजना के प्रावधानों के साथ अंतर्निहित रूप से असंगत है।

32. इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखना होगा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने ***खजानी देवी*** के मामले में, कुछ इसी तरह की स्थिति में, हमारे विचार से, सही नियम अधिकथित किया कि 'अविवाहित बेटी' शब्द में एक तलाकशुदा बेटी शामिल है। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की :-

> *"5. पात्र आश्रितों को सूचीबद्ध करने वाले योजना के खंड का अंतर्निहित उद्देश्य केवल एक को ही पेंशन दी जाए। इसलिए,*

अधिकारियों को उस दृष्टिकोण से लाभ की स्वीकार्यता का अर्थ लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि बेटियों को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है।

एक अविवाहित बेटी का उल्लेख पात्र आश्रितों की सूची में पाया जाता है। इस प्रकार, तलाकशुदा बेटी को बाहर करना एक मजाक होगा। इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि अविवाहित बेटी को पात्र आश्रितों की सूची में शामिल किया जा सकता है और तलाकशुदा बेटी को इससे बाहर रखा जा सकता है, खासकर तब जब वह एकमात्र पात्र आश्रित हो और इस प्रकार, लाभ के लिए पात्र हो, जो केवल एक आश्रित को ही स्वीकार्य है। तथापि, हमारी यह राय है कि किसी फायदाप्रद योजना जैसे कि मौजूदा योजना, को कठोर निर्वचन/व्याख्या द्वारा न तो बांधा जाना चाहिए और न ही निर्मित किया जाना चाहिए जो दावेदारों को फायदे से वंचित करता है जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में योजना के सराहनीय उद्देश्य की निराशा या अस्वीकृति होती है। हमने यह भी देखा है कि रक्षा मंत्रालय ने 14 दिसम्बर, 2012 को निर्देश जारी किए हैं (संलग्नक पी-8 के रूप में अभिलेख पर) जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु के उदारीकृत/विशेष परिवार पेंशन के लिए योग्य आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा बेटी को शामिल किया गया है। हम इसे नीचे उद्धृत कर सकते हैं:

> *"2. उपर्युक्त मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है और पी एंड पीडब्ल्यू विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी भी 25 वर्ष से अधिक आयु की उदारीकृत/विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी जो अब तक निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।*

6. उदारीकृत/विशेष पारिवारिक पेंशन और स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना दोनों का उद्देश्य उन 4 वर्दीधारी लोगों में से 3 की

बहादुरी का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या कष्ट उठाया। इस प्रकार, हम, देश के गुमनाम नायकों को उनके आश्रितों को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लाभ से वंचित करने के लिए इस योजना की कोई अपमानजनक व्याख्या नहीं करेंगे।"

33. जैसा कि **खजानी देवी** के मामले में दिए गए निर्णय से उपर्युक्त उद्धरण के परिशीलन पर स्पष्ट है, न्यायालय ने दिनांक 14.12.2012 को रक्षा मंत्रालय के अनुदेशों को विज्ञापित किया, जिसमें एक तलाकशुदा बेटी को उदारीकृत/विशेष पारिवारिक पेंशन के तहत 25 वर्ष से अधिक समय तक लाभ प्रदान किए गए। न्यायालय ने, हमारी राय में, एक बार फिर, सही ढंग से देखा कि यदि देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले या कष्ट उठाने वाले लोगों को सम्मानित करने का इरादा है, चाहे वे वर्दी में हों या अन्यथा, तो योग्य आश्रित अभिव्यक्ति में एक तलाकशुदा बेटी शामिल होनी चाहिए।

34. उच्चतम न्यायालय ने **खजानी देवी** के मामले में भारत संघ द्वारा दी गई विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, इसे केवल आरम्भ में ही खारिज नहीं किया। न्यायालय ने विरोधी पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद दिनांक 27.09.2019 के आदेश के माध्यम से भारत संघ द्वारा मुख्य अपील को खारिज कर दिया| उक्त आदेश, संक्षिप्त रूप में, निचे उद्धृत किया गया है:

"विलंब माफ कर दिया गया।

<u>हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है। हमारा विचार है कि आक्षेपित आदेश उस पुत्री को, जिसका विवाह-विच्छेद कर दिया गया था, उसके साथ अविवाहित पुत्री के समान व्यवहार करते हुए लाभ देने के लिए प्रगतिशील और सामाजिक रूप से रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। हम इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं।</u>

<u>हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।</u>

लंबित आवेदन भी निपटाया जाएगा।"

[हमने जोर दिया]

34.1. हमारे विचार से, उच्चतम न्यायालय के आदेश को स्पष्ट पढ़ने से पता चलता है कि विशेष अनुमति याचिका गुणों के आधार पर खारिज की गई थी, न कि आरम्भ में। ऐसा प्रतीत होता है कि **खजानी देवी** के मामले में, विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के आदेश का यह पहलू **सोनाली हटुआ गिरी** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

35. हम विधवा/तलाकशुदा बेटी को 1980 की योजना का फायदा न देने का कोई कारण नहीं देखते हैं। हम **श्रीमती कमलेश** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार और कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **सोनाली हटुआ गिरी** के मामले में व्यक्त किए गए विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

36. यद्यपि हमें यह बताया गया था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **श्रीमती कमलेश** के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के संचालन पर रोक लगा दी थी, हमारे समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जो यह दर्शाता हो कि **सोनाली हटुआ गिरी** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई है।

37. हम देखते हैं कि जहां तक **तुलसी देवी** के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय का संबंध है, यह **खजानी देवी** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय या उस मामले के लिए, **श्रीमती कमलेश** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय उल्लेख नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये निर्णय न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए थे।

38. जो विवाद में नहीं है वह यह है कि **तुलसी देवी** के मामले में विशेष अनुमति याचिका को वरीयता दी गई है, वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णयन के लिए लंबित है।

39. इस प्रकार, इस समय, हमारा एकमात्र स्पष्ट दृष्टिकोण **खजानी देवी** मामले में उच्चतम न्यायालय का है। इस फैसले का अनुपात इस न्यायालय सहित सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है।

<u>निष्कर्ष:</u>

40. इस प्रकार, पूर्वगामी कारणों और उच्चतम न्यायालय द्वारा **खजानी देवी** मामले में व्यक्त किए गए विचार के कारण, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

41. तथापि, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, हम जोर दे सकते हैं कि तात्कालिक मामले में हमारा निर्णय भारत संघ के अधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत पर आधारित नहीं है, बल्कि मामले के गुण-दोष पर आधारित है। इसलिए, हम समीक्षा याचिका को स्वीकार करते हैं और केवल श्री शंकर को किसी और शर्मिंदगी से बचाने के लिए दिनांक 15.12.2021 के अपने आदेश को वापस लेते हैं| ऐसा आदेश दिया गया है।

42. इसके अतिरिक्त, जैसाकि ऊपर इंगित किया गया है, हम, भारतीय संघ द्वारा की गई अपील को खारिज करने के इच्छुक हैं।

42.1. तदनुसार आदेश दिया जाता है।

43. चूंकि सुश्री इंदिरा कुमारी के कानूनी प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाया गया है, इसलिए उन्हें अपनी मां, सुश्री इंदिरा कुमारी (यदि अन्यथा, दिवंगत सुश्री इंदिरा कुमारी ने 1980 की योजना में प्रदान की गई अन्य शर्तों को पूरा किया था) को इस संबंध में आवेदन करने की तारीख से उनकी मृत्यु की तारीख, 02.10.2021 को हुई, जो हमें बताया गया है, तक पेंशन प्राप्त होगी।

44. भारत संघ यह सुनिश्चित करेगा कि यदि अन्यथा, 1980 की योजना के तहत कोई बाधा नहीं है, तो अगले छह हफ्तों के भीतर मृत प्रतिवादी सुश्री इंदिरा कुमारी के कानूनी प्रतिनिधि को मौद्रिक फायदा दिया जाए।

45. लागत अपील में परिणाम का अनुसरण करेगी।

श्री राजीव शकधर
(न्यायमूर्ति)

तलवंत सिंह
(न्यायमूर्ति)

जनवरी 20,2023/पीएमसी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*